



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-9

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 252210 दिनांक 18/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ushmeet Singh Narang S/o GURMEET SINGH NARANG	उशमीत सिंह नारंग पुत्र स्व. गुरमीत सिंह नारंग	122	920.00 SQ. YARD	Private	GREEN PARK	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 122 क्षेत्रफल 920.00 व.ग. की लीजडीड दिनांक 05.12.2012 को गुरमीत सिंह नारंग पुत्र दर्शन सिंह नारंग के नाम से जारी की गयी है। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि मूल भूखण्ड स्वामी का निधन दिनांक 09.07.2025 को गयी। आवेदक द्वारा वारिसान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है 1. जतिन्दर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कौर पत्नी स्व.
गुरमीत सिंह
नारंग 2.
इकबाल सिंह
कौर पुत्र स्व.
गुरमीत सिंह
नारंग 3.
उशमीत सिंह
कौर पुत्र स्व.
गुरमीत सिंह
नारंग।
तत्पश्चात्
रजिस्टर्ड त्याग
पत्र दिनांक
29.08.2025
को 1. जतिन्दर
कौर पत्नी स्व.
गुरमीत सिंह
नारंग 2.
इकबाल सिंह
कौर पुत्र स्व.
गुरमीत सिंह
नारंग द्वारा
अपने हिस्सा
उशमीत सिंह
नारंग पुत्र स्व.
गुरमीत सिंह
नारंग के पक्ष में
हक त्याग कर
दिया गया।
आवेदक द्वारा
नाम हस्तांतरण
हेतु आवेदन
किया गया है।
अतः पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ushmeet Singh Narang S/o GURMEET SINGH NARANG को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।